भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 1213

दिनांक 30 जुलाई, 2024 के लिए प्रश्न

दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य

1213. डॉ. गुम्मा तनुजा रानी:

श्री पी.वी.मिधुन रेड्डी:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में उत्पादित दूध के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने पर विचार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार को देश में कम संख्या में पशुधन बीमा की पहुंच होने की जानकारी है और यदि हां, तो सरकार द्वारा इसमें सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) देश में पशु चिकित्सालयों का पशुधन की कुल संख्या की तुलना में अनुपात कितना है; और

(घ) सरकार द्वारा इस अनुपात में सुधार लाने और पशुधन को बेहतर चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार देश में दूध के क्रय और विक्रय मूल्यों को विनियमित नहीं करता है। सहकारी और निजी डेयरियां अपनी उत्पादन लागत और बाजार शक्तियों के आधार पर मूल्यों का निर्धारण करती हैं। दूध का मूल्य निर्धारण सरकारी नियंत्रण से मुक्त होने के कारण देश में दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित करने का इस विभाग का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) पशुपालन और डेयरी विभाग ने देश भर के किसानों के बीच बीमा योजना को लोकप्रिय बनाने और उसकी स्वीकृति बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए:

i. एपीएल, एससी, एसटी, बीपीएल जैसी श्रेणियों और क्षेत्र के प्रकार में विभेद किए बिना सभी के लिए लाभार्थी योगदान को 20-40% से घटाकर 15% कर दिया गया है। प्रीमियम की शेष राशि का योगदान 60:40 या 90:10 (पर्वतीय/उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए) के रूप में केंद्र और राज्य के हिस्से के रूप में किया जाएगा।

ii. सभी पशुओं के लिए बीमा कवरेज को 10 गोपशु इकाइयों (मौजूदा 5 गोपशु इकाइयों से) तक बढ़ाना, सिवाय सुअर और खरगोश के, जिनके मामले में यह प्रति परिवार 5 गोपशु इकाई होगा। यहां एक गोपशु इकाई एक बड़े पशु और 10 छोटे पशुओं के बराबर है।

iii. बीमित पशुओं की बेहतर पहचान के लिए आरएफआईडी (RFID) टैगिंग को शामिल करने और रियल-टाइम के आधार पर बेहतर निगरानी के माध्यम से पारदर्शिता और बेहतर दावा (claim) निपटान अनुपात बढ़ाने हेतु देश में पशुधन बीमा पोर्टल के लिए एकल वेब एपीपी वर्क फ्लो (APP workflow) पोर्टल विकसित करने का प्रावधान किया गया है।

(ग) मूलभूत पशुपालन सांख्यिकी (बीएएचएस) 2023 और 20वीं पशुधन संगणना 2019 के अनुसार, देश में कुल लगभग 536.71 मिलियन पशुधन को सेवाएं देने के लिए 69202 पशु चिकित्सा संस्थान (पशु चिकित्सा अस्पताल/ पॉलीक्लिनिक, पशु चिकित्सा औषधालय, पशु चिकित्सा सहायता केंद्र सहित) हैं। उपर्युक्त आंकड़ों के आधार पर, देश में पशु चिकित्सा क्लीनिकों और पशुधन संख्या का अनुपात 1:7756 है।

(घ) पशुपालन राज्य का विषय है, इसलिए पशु चिकित्सा अस्पतालों और औषधालयों की स्थापना तथा सुधार और पशुचिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए पशुचिकित्सा संस्थानों में आवश्यक कर्मियों की भर्ती राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आती है। हालांकि, पशुपालन और डेयरी विभाग पशु चिकित्सा अस्पतालों और औषधालयों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण-मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां (ईएसवीएचडी-एमवीयू) घटक के तहत किसानों के द्वार पर पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं की प्रदायगी हेतु पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रति एक लाख पशुधन आबादी पर एक एमवीयू के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान करता है। एमवीयू दूर-दराज के क्षेत्र में किसानों/पशुपालकों को उनके द्वार पर निदान, उपचार, टीकाकरण, लघु शल्य चिकित्सा, दृश्य-श्रव्य सहायता उपकरण और विस्तार सेवाएं प्रदान करते हैं। केंद्र सरकार ने पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ करने के लिए पशु चिकित्सा अस्पतालों और औषधालयों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण-मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां (ईएसवीएचडी-एमवीयू) के तहत एमवीयू की खरीद और अनुकूलन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 100% वित्तीय सहायता प्रदान की है।

****